APPENDIX - XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 3178

Dated: 26/12/2022

Din	building or Modul S. chool Nayayayay of (upper floors) owned/ occ (name of the institution) hav accordance with rule of Stat Fire Service on2 ash Kumar (frinciped) (representative) and that	premises) m.B.loz.kMethwan.Dist upied by Swami Vive Env complied with the fire pre- ce/UT Fire Service Rules, and 1-11-2022 (date of name and addresses of the building/ premises in	model School mahura (name of the at Swami Vivekanand Grift Dauss. Raj. (address) comprised Ground 2t.S.t. floors Normal. Govt. Model. School Mahurn evention and fire safety requirements in nd verified by the officers concerned of inspection) in the presence of f the Manager/ Secretary or his is fit for occupancy upto classes .2.6.(1.2.)	
	1.			
	2. 3.	-	-	
	4.		Palikon mahma	
4. Issued on 2.6/12/2022 (date of issue) at Magar Palika mahme. (place) by				
	*Strike out whichever is not a		vith Seal:	
		Name	TE JRA MRUMABURG (ेोट.,	
		Designation	Providence and a	
		Name & Addr	ress of Department/ Office:Klassy Paliks Mahwa,	9
	To Swomi Vivekanand			

Swami Vivekanand Govt. Model School Nayagaon Block Mahwa (Dausa)

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to The No Objection Certificate and a large the second s

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, * The filled up certificate should be entire in this is used in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

कार्यालय नगरपालिका महवा (दौसा) राज0

EMAIL-nagarpalikamahwa@gmail.com

क्रमांक—नपाम / 2022—23 / 3177

अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, नयागांव त0 महवा जिला दौसा का मौका निरीक्षण नगरपालिका महवा के फायर प्रभारी द्वारा दिनांक 21.11.2022 को किया गया। फायर प्रभारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त विधालय भवन में निर्धारित स्थानों पर अग्निशमन यंत्र लगे हुऐ है जो वर्तमान में चालू स्थिति में है तथा फायर सिस्टम को अपग्रेड करने

का निर्देश देतें हुए अस्थाई अग्निशमन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र दिनांक ... २.७ / १९ २०२२ सें ...२.५ / १२ / २०२३... तक मान्य होगा।

भार्तेः–

- 1. अग्निशमन उपकरणो को सदैव चालू स्थिति मे रखना होगा।
- 2. प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखना होगा।
- 3. आपात स्थिति मे लगें हुऐं यंत्रों को इस्तेमाल नगरपालिका महवा द्वारा कभी भी किया जा सकता है ।
- 4. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5. अग्निशमन उपकरण समयावधि मे रिफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशो का पालना करना होगा।
- 7. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम– उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
- 9. पानी के टैक हर समय भरे रखने होगे व पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टें कार्यशील स्थिति मे
 - रखने को बाध्य होगें।
- 10. फायर वाहन आसानी से जा सके इसके लिऐ खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- 11. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावें।
- 12. यह प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा के लिये ही मान्य होगा।
- 13. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगे।
- 14. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नही होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
- 15. औचक निरीक्षण के दौरान कभी भी यंत्र खराब पाये गये तो उक्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।
- 16. उक्त अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र अवधि के दौरान कोई भी अग्नि सें गठित घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ना कि नगरपालिका महवा की ।

30/11/22

दिनांक- 26/12/202